भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5326

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एससीएम के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता अवसंरचना में सुधार

5326. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद पेयजल और स्वच्छता अवसंरचना में सुधार होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण परियोजनाओं के लिए कोई वित्तपोषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार ने अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की अवधि 31.03.2025 तक बढ़ा दी है।

(ग) स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (डब्ल्यूएएसएच) क्षेत्र में 46,727 करोड़ रुपए की लागत की कुल 1,439 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक शामिल है, जिसका उद्देश्य सभी शहरों में नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत सुरक्षित वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्राप्त करना है। इसमें निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट का प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र आदि शामिल हैं।

विभिन्न गतिविधियों जैसे कि स्रोत पृथक्करण, घर-घर से संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट संयंत्र, सैनिटरी लैंडफिल, मशीनीकृत सफाई उपकरण और विरासत डंप साइटों के जैव-उपचार की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

*****